

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)
द्वितीय तल, पंत भवन, पटना-800001

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम अपस्केलिंग 'आपदा मित्र' कार्यक्रम के तहत चिन्हित जिलों के सामुदायिक वालंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओ.पी. शाह सामुदायिक केंद्र, माल सलामी थाना, पटना में किया जाना है प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसीय आवासीय होना है कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक केंद्र में खानपान, मेस सेवाएं, स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधा और फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये अनुभवी सेवादाताओं/ अभिकर्ताओं से निविदा का आमंत्रण किया जाता है इस निविदा की विवरणी एवं शर्तें निम्नवत है—

- I. कार्यालय में प्री-बीड मितिग की तिथि — 10.02.2023 (अपराह्न 03:00 बजे)
- II. कार्यालय में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि — 15.02.2023 (पूर्वाह्न 11:00 बजे तक)
- III. कार्यालय में निविदा खुलने की तिथि — 15.02.2023 (अपराह्न 04:00 बजे)
- IV. निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- V. अग्रधन की राशि ₹20,000/— (बीस हजार रुपये) मात्र बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध कराना होगा।
- VI. After awarding the tender बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारंटी की राशि ₹10,00,000/— (दस लाख रुपये) MoU/एकरारनामा के समय जमा करना होगा।
- VII. सेवा/सामग्रियों का आपूर्ति आदेश प्राधिकरण कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।
- VIII. इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया शर्तों आदि की जानकारी तथा सामग्री/सेवा की सूची, मात्रा/गुणवत्ता का विस्तृत विवरण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाइट www.bsDMA.org/tender पर देखा जा सकता है।
- IX. निविदा को पूर्णत या अंशत रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।


(मीनेन्द्र कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल पटना-1

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से संचालित कार्यक्रम अपस्कैलिंग 'आपदा मित्र' कार्यक्रम के तहत चिन्हित जिलों के सामुदायिक वालंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ओ.पी. शाह सामुदायिक केंद्र, माल सलामी थाना, पटना में किया जाना है प्रत्येक बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसीय आवासीय होना है कार्यक्रम के दौरान सामुदायिक केंद्र में खानपान, मेस सेवाएं, स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधा और फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराने के लिये अनुभवी सेवादाताओं/ अभिकर्ताओं से प्रति बैच के आधार पर सशर्त वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिये एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिये अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है-

कार्य सेवाओं की आवश्यकता

सेवाओं में निम्नलिखित कार्य शामिल होते हैं:

प्रति बैच 12 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु कुल 1200 व्यक्तियों के लिए खानपान, भोजनालय और मेस सेवाएं।

प्रशिक्षण स्थल	सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवायें	अनुमानित संख्या	बयाना राशि (EMD)	निविदा वैधता
ओ.पी. शाह सामुदायिक केंद्र, माल सलामी थाना, पटना	A. भोजन और मेस सेवाएं	1200	Along with the Technical Bid (Envelope-I), the bidder shall have to submit a refundable Earnest Money Deposit (EMD) of Rs. 20,000/- (Rs. Twenty Thousand Only) in the form of a Demand Draft drawn from a scheduled Bank/Nationalized Bank in favour of "Bihar State Disaster Management Authority" payable at Patna and after awarding of tender then Bank Draft/Bank Guarantee of Rs. 10,00,000/- (Ten Lakh Only) deposit at the time of MoU/agreement. failing which the Bids submitted by the Bidder shall be out-rightly rejected.	180 दिन
	B. फर्नीचर इत्यादि- आर्म युक्त कुर्सी टेबल बैठकर खाने हेतु दरी (20 Feet/ दरी)	1200 50 40		
	C. बेडसीट की धुलाई, बाथरूम, शौचालय एवं सभी फ्लोर की साफ सफाई एवं जेनरेटर हेतु ईंधन	1200 बेडसीट, कुल 6 फ्लोर एवं सभी बाथरूम, शौचालय ईंधन प्रति घंटा की दर से		

सेवा प्रदाता निम्नलिखित सेवा प्रदान करेंगे-

(A) भोजन और मेस सेवाएं

- सामुदायिक केंद्र के लिये मेनू के आधार पर प्रातःकाल टी, प्रातःकाल नाश्ता, क्लास टी, दोपहर का भोजन, क्लास टी प्रशिक्षण के दौरान और रात का खाना उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक दिन उपस्थिति की पंजी के अनुसार भुगतान संबंधी कार्रवाई की जायेगी।
- आवश्यकता होने पर सेवादाता को विभिन्न सेवाओं के तहत लागू दरों पर अतिरिक्त भोजन इत्यादि की आपूर्ति करने के लिए कहा जाएगा।
- सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करता है।
- सेवादाता द्वारा भोजन की गुणवत्ता अच्छे स्तर की करनी होगी। मेनू के अनुसार भोजन की तैयारी में उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामग्री FSSAI प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए।



6. सेवादाता बाजार से प्रतिदिन अच्छी गुणवत्ता वाली ताजी सब्जियां, फल, मांसाहारी ही खरीदेगा। सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य कच्चे माल (नॉन-पेरिशेबल) का पर्याप्त स्टॉक उपभोग हेतु न्यूनतम 12 दिनों की अवधि के लिए स्टोर में रखा गया है।
7. सेवादाता द्वारा खरीदी गई सामग्री की स्वच्छता और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सेवादाता की होगी।
8. भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्राधिकरण के समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करेगा।
9. घटिया सामग्री यदि कोई पाई जाती है तो उसे मेस के परिसर से सेवादाता अपने जोखिम और लागत पर हटायेगा एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दण्ड भी आरोपित कर सकेगी।
10. प्रातः टी, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, प्रशिक्षण के दौरान दो बार टी और रात का खाना समय-समय पर दिए जाने वाले मेनू के अनुसार परोसा जाना चाहिए।
11. भोजन के लिए आवश्यकतानुसार काउंटर/बुफे लगाकर परोसा जाना है। तथा पीने के पानी को निर्धारित क्षेत्र में ही व्यवस्था उपलब्ध करायेगा।
12. उपयोग की गई प्लेट/ ग्लास आदि को डस्टबिन एवं डिश वॉश क्षेत्र तक ले जानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
13. संभावित भोजन का समय

प्रातः टी/ बिस्कुट	05:30- 06:00 पूर्वाह्न
नाश्ता	07:30- 09:00 पूर्वाह्न
दोपहर का भोजन	प्रथम पाली 12:30- 01:30 अपराह्न द्वितीय पाली 01:30- 02:30 अपराह्न
प्रशिक्षण के दौरान टी/ बिस्कुट	प्रथम पाली 11:30 पूर्वाह्न द्वितीय पाली 04:00 अपराह्न
रात का खाना	08:00- 10:00 अपराह्न

14. मेनू के साथ मेस का समय प्रदर्शित एवं इसका अनूपालन सुनिश्चित करना होगा।
15. सेवादाता द्वारा प्रत्येक भोजन के बाद डाइनिंग और किचन हॉल में साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी तथा सप्ताह में एक बार कीटाणुरहित/धुलाई किया जाएगा।
16. मेनू

दिन	अल्पाहार	दोपहर का भोजन	रात का भोजन
सोमवार	2 केला, 1 सेब, दूध, कॉर्न फ्लैक्स	चावल, रोटी, भुजिया, सलाद, पापड़, अचार, पनीर।	चावल, रोटी, दाल, सब्जी, अचार, गुलाब जामुन।
मंगलवार	छोले भटूरे, अचार, 1 सेब, 1 केला।	चावल, रोटी, कढ़ी-बड़ी, सब्जी, भुजिया, सलाद, पापड़, अचार।	चावल, रोटी, मूँग दाल साबुत, सब्जी, अचार, खीर (चावल)।
बुधवार	सत्तू पराठा, सब्जी, अचार, मौसमी फल।	चावल, रोटी, मिक्स दाल, सब्जी, भुजिया, सलाद, पापड़, अचार, मछली।	चावल, रोटी, दाल अरहर, सब्जी, अचार, गुलाब जामुन।
गुरुवार	आलू पराठा, दही।	चावल, रोटी, राजमा, सब्जी, भुजिया, पापड़, अचार, चटनी, फ्रुट कीम।	चावल, रोटी, चना दाल, सब्जी, अचार, सुजी का हलवा।
शुक्रवार	पालक पराठा/ गोभी/मूली पराठा, दही।	जीरा फाई चावल, रोटी, दाल मिक्स, सब्जी, भुजिया, सलाद, पापड़, अचार, गुलाब जामुन।	चावल, रोटी, दाल अरहर, सब्जी, अचार, सेबई।
शनिवार	मौसमी फल, ब्रेड/जैम।	भेज बिरयानी, भुजिया, सलाद, पापड़, अचार, रायता, दाल।	चावल, रोटी, दाल मिक्स, सब्जी कस्टर्ड, अचार।
रविवार	ब्रेड पकौड़ा, सॉस, 2 केला।	चिकेन बिरयानी, भुजिया, सलाद, पुरी, दाल तड़का।	चावल, रोटी, मूँग साबुत दाल, सब्जी, खीर (चावल), अचार।

TEA with biscuits - सुबह नाश्ता के साथ, प्रशिक्षण के दौरान प्रथम पाली 11:30 पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 04:00

अपराह्न प्रतिदिन सभी को।

(B) फर्नीचर इत्यादि-

• फर्नीचर इत्यादि- आर्म युक्त कुर्सी	1200	12 कार्य दिवस
• टेबल	50	
• बैठकर खाने हेतु दरी (20 Feet/ दरी)	40	

- I. सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण स्थल के सभी फ्लोर पर प्रस्तावित प्रशिक्षण कक्ष में कुर्सियां एवं टेबल पर्याप्त मात्रा में सुव्यवस्थित है।
- II. सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं उपयोग के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

(C) सामुदायिक केंद्र के बेडसीट, बाथरूम, शौचालय एवं सभी छः फ्लोर की साफ सफाई एवं जेनरेटर हेतु ईंधन उपलब्ध कराया जाना-

• बेडसीट की धुलाई प्रति बैच	1200 बेडसीट, सभी बाथरूम, शौचालय कुल 6 फ्लोर ईंधन प्रति घंटा की दर	12 कार्य दिवस
• सभी बाथरूम, शौचालय की साफ सफाई प्रति दिन दो सिफ्ट		
• सभी फ्लोर की साफ सफाई प्रति दिन दो सिफ्ट		
• जेनरेटर हेतु ईंधन प्रति दिन		

- 1) किचन, वॉश एरिया, डाइनिंग हॉल, सर्विस एरिया और स्टोरेज एरिया की सफाई के लिए गुणवत्ता वाली सफाई सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सेवादाता की होगी।
- 2) सफाई सामग्री की गुणवत्ता की समीक्षा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर किया जायेगा।
- 3) सफाई हेतु संबंधित सामग्री की मात्रा पर्याप्त हो और सभी फ्लोर पर साफ-सफाई के लिए गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करेगा।
- 4) मेस से बेकार सामग्री और अनुपयोगी/बचे हुए भोजन को मेस परिसर से प्रतिदिन हटाया जाएगा। सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी बेकार सामग्री निगम द्वारा प्रचालित व्यवस्था के तहत निष्पादन सुनिश्चित करना होगा एवं निगम द्वार किये चार्ज का वहन करना होगा।
- 5) सेवादाता यह सुनिश्चित करेगा कि सफाई सामग्री काला फिनाइल, सफेद फिनाइल, डिटर्जेंट / रसायन, सुगंधित कीटाणुनाशक, नारियल झाड़ू, छड़ी के साथ कपास झाड़ू, धोने का ब्रश, धूल साफ करने वाली छड़ी, फ्लोर वाइपर, टेबल क्लीनिंग वाइपर, कचरे के डिब्बे, बाल्टी, झाड़न का कपड़ा, स्क्रबर इत्यादि की मात्रा पर्याप्त एवं सुव्यवस्थित हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. सभी संस्थानों / अभिकर्ताओं को वाणिज्य कर / आयकर निबंधित होने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदा में अंकित सभी सेवाएं/ सामग्री (item) का दर एवं जी.एस.टी. उद्धृत करना होगा।
3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर क्लियरेंस होना चाहिए।
4. सेवाएं/ सामग्री अच्छी गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड की होनी आवश्यक है। पूर्व में दी गयी सेवाओं के अनुभव आदि विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।
5. प्रशिक्षण से संबंधित प्रशिक्षुओं आदि की संख्या एवं संबंधित सामग्री की वास्तविक संख्या समिति के द्वारा कम या अधिक उपलब्ध बजट के अनुसार निविदा आमंत्रित करने के पश्चात की जाएगी।
6. सेवा/ सामग्री की गुणवत्ता की जांच समिति द्वारा की जाएगी। इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार करना होगा।
7. निविदादाता को केंद्रीय व राज्य सरकार संस्था द्वारा काली सूची में ना होने के आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

8. कार्य आदेश निर्गत होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, प्रशिक्षण स्थल पर सेवाएं/ सामग्री उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. सेवादाता / फर्म को उक्त सेवा/ सामग्री स्वयं के व्यय पर आपूर्ति (FOR) के अनुसार करना होगा। आपूर्ति नियम विशिष्टियों व गुणवत्ता के अनुसार ना पाए जाने पर आपूर्तिकर्ता को स्वयं के खर्च पर अपना सामान वापस ले जाना होगा।
10. सभी निविदाएं दिनांक 15.02.2023 को अप0 11:00 बजे तक हीं रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट/कुरियर अथवा हाथों-हाथ सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800001 में स्वीकार की जायेंगी। नियत तिथि / समय के बाद प्राप्त निविदायें स्वीकार्य नहीं की जायेगी और न ही निविदा समिति द्वारा विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार किया जायेगा। डाक प्रेषण में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) द्विनिविदा प्रणाली के अधीन होगी।
11. तकनीकी निविदायें जिसमें व्यापारिक शर्तें और निबन्धनों के साथ समस्त तकनीकी विवरण हों।
12. वित्तीय निविदा में एक सेवा/ सामग्री हेतु एक ही दर अंकित किया जाय। एक ही सेवा/ सामग्री हेतु एक से अधिक दरें अंकित किये जाने पर उक्त सामग्री हेतु फर्म द्वारा दिये गये दरों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय निविदा में सामग्री की दरें अंकों एवं शब्दों में दी जाये।
13. तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग-अलग लिफाफों में सीलकर (लिफाफे पर अंकित हो कि लिफाफा तकनीकी है अथवा वित्तीय) दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलकर प्रस्तुत करनी होगी। सीलबन्द लिफाफे के बाहर अपस्केलिंग 'आपदा मित्र' प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु निविदा अंकित करना अनिवार्य होगा।
14. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी तथा तकनीकी निविदा में सफल एजेंसियों का हीं वित्तीय निविदा का खोली जायेगी। निविदादाता का तकनीकी निविदा तथा नमूना सही नहीं पाये जाने पर उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
15. निविदा प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
16. तकनीकी बिड खुलने का समय व दिनांक 15.02.2023 अप0 04:00 बजे है। प्राप्त निविदायें समिति द्वारा निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे। वित्तीय निविदा खुलने की तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी।
17. सेवादाता द्वारा श्रम लाईसेंस (Labour Licence) होने से संबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
18. सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवा/सामग्री आपूर्ति के अनुभव का प्रमाण पत्र (कार्यालय पत्रांक सहित) होना वांछनीय है (प्रमाण पत्र प्रमाणित प्रति संलग्न करें)।
19. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त कार्यों के लिए किसी भी प्रकार का अग्रिम नहीं दिया जायेगा। प्रति बैच प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन उपरांत संबंधित विपत्र का भुगतान एक सप्ताह में किया जायेगा।
20. बिना कारण बताये निविदा को आंशिक या पूर्णरूपेण रद्द करने का अधिकार बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निहित होगा।
21. उपरोक्त सभी कार्य यथानिदेशित उत्तम तरीके से करना होगा अन्यथा भुगतान से इसकी पूर्ण अथवा आंशिक कटौती की जायेगी।
22. निविदा प्राधिकरण के वेबसाईट www.bsdma.org पर भी देखी जा सकती है।

(मीनेन्द्र कुमार)

सचिव

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना।

Financial Bid

S.No	सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवायें	अनुमानित संख्या	प्रतिदिन सेवा / सामग्री की लागत (रूपया में)	GST%	कुल धनराशि (रूपया में)
1.	चाय, बिस्किट एवं पानी	1200 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन			
2.	अल्पहार	1200 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन			
3.	दोपहर एवं रात्रि का भोजन	1200 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन			
4.	आर्म युक्त कुर्सी	1200 व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन			
5.	टेबुल	50 प्रतिदिन			
6.	बैठकर खाने हेतु दरी (20 Feet/ दरी)	40 प्रतिदिन			
7.	सामुदायिक केन्द्र का साफ-सफाई हेतु सामग्री	प्रतिदिन			
8.	प्रशिक्षुओं के बेडशीट की धुलाई	1200 प्रति बैच			
9.	सामुदायिक केन्द्र के कुल 06 फ्लोर की साफ-सफाई	प्रतिदिन			
10.	सामुदायिक केन्द्र के सभी फ्लोर के बाथरूम एवं शौचालय की दो शीफ्ट में साफ-सफाई	प्रतिदिन			
11.	सामुदायिक केन्द्र में जेनरेटर हेतु ईंधन	प्रति घंटा की दर			

उपरोक्त व्यवस्था 1200 व्यक्तियों के लिए जायेगी।

दिनांक:-

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
पता एवं मोहर

॥ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना ॥

कार्य का नाम : अपस्कैलिंग "आपदा मित्र" प्रशिक्षण कार्यक्रम किये जाने विषयक।

विवरण : संलग्न सूची ।

सामग्री अच्छी गुणवत्ता के Super Quality विशिष्टियों के आधार पर ही निविदा स्वीकार्य होगी।

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	फर्म का नाम व पूरा पता	
2	फर्म के अध्यक्ष/मालिक का नाम	
3	अध्यक्ष/मालिक के पिता का नाम	
4	दूरभाष व फैक्स नम्बर	
5	व्यापार कर विभाग के पंजीकरण संख्या (TIN)/GST No- (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)	
6	श्रम लाईसेंस (Labour Licence) होने से संबंधित प्रमाण पत्र है या नहीं (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
7	फर्म का आयकर पैन (PAN) (विगत वर्ष के आयकर भरने पर विभाग द्वारा जारी रसीद तथा पैन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति)	
8	सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में सामग्री आपूर्ति का अनुभव है या नहीं ? (यदि हाँ तो आपूर्ति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति)	
9	विगत वर्ष में फर्म द्वारा जमा किये गये विक्रीकर/व्यापार कर का विवरण (रसीद की प्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य) तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट की गयी विगत वर्ष 3 वर्ष की बैलेंस सीट (सही प्रारूप पर) की प्रमाणित छायाप्रति)	
10	टर्नओवर का प्रमाण पत्र (विगत वर्ष का Profit & Loss Account)	
	केन्द्र व राज्य में काली सूची में न होने का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र) संलग्न है या नहीं?	
11	धरोहर राशि (EMD) रू0 1,00,000.00 का विवरण	धनराशि रू0..... का बैंक ड्राफ्ट/ एफ0डी0आर/ एन०एस०सी० पत्र संख्या दिनांक..... संलग्न है ।

नोट:- सभी कॉलम भरा जाय।

दिनांक:-:

हस्ताक्षर निविदादाता
पता तथा मुहर
मो0 नं0: